


कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर

कमांक 95 / नि.स. / प्र.अ. / त.शा. / रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 2007
// परिपत्र //

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि नगरीय जल प्रदाय योजनाओं के निविदा बुलाते समय अथवा निविदा प्रकरण इस कार्यालय को भेजते समय योजना के ऐसे अवयवों जैसे-पंपिंगमेन, टंकी, डिस्ट्रीब्यूशन की निविदा पहले भेज दी जाती है एवं ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेकवेल की निविदा हेतु कार्यवाही बाद में की जाती है। यह स्थिति व्यवहारिक रूप से योजना के हित में नहीं है।

अतः निर्देश दिए जाते हैं कि सर्वप्रथम इंटेकवेल, ट्रीटमेंट प्लांट रॉ-वाटर की व्यवस्था के लिए निविदा प्रकरण बुलावें एवं इस कार्यालय को निविदा प्रकरण भेजें। इसकी स्वीकृति उपरांत ही शेष अवयवों की निविदा की स्वीकृति पर कार्यवाही की जावेगी।

इस निर्देश को गंभीरता से लिया जावे एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।


(आर.एन.गुप्ता)
प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 2007

पृ.क. 3430 / नि.स. / प्र.अ. / त.शा. /
प्रतिलिपि :-

1-

सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2-


मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, रायपुर/बिलासपुर।


3-

समस्त अधीक्षण अभियंता/प्रोजेक्ट इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल, ... छत्तीसगढ़।

4-

समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल, ... छत्तीसगढ़।




प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर